

निगरानी एवं मूल्यांकन इकाई का कार्य आवंटन

क्रम. सं.	विषय
1	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) तैयार करना और उसकी निगरानी करना।
2	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अनुसूचित जाति के लिए विकास संबंधी कार्य योजना (डीएपीएससी) [तत्कालीन अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी)] की निगरानी।
3	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास संबंधी कार्य योजना (डीएपीएसटी) [पूर्ववर्ती जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) / अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी)] की निगरानी।
4	पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के 10% के उपयोग की निगरानी।
5	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेई) / जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) / उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) से प्राप्त ईएफसी / एसएफसी प्रस्तावों और कैबिनेट नोटों पर सामग्री / टिप्पणियां तैयार करना।
6	एम एंड ई यूनिट को सौंपे गए वैश्विक सूचकांकों के लिए सामग्री तैयार करना [यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (टीटीसीआई), वैश्विक लैंगिक अंतर संबंधी सूचकांक (जीजीजीआई) / लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई), वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (जीसीआई) आदि]।
7	डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआई) के वर्टिकल में से एक के रूप में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की डेटा और रणनीति इकाई (डीएसयू) की सहायता करना।
8	क्षेत्र कार्यालयों के कामकाज और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में एरिया/नोडल अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति।
9	आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संबंध में सामग्री तैयार करना।
10	पीएम-गतिशक्ति - राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संबंध में सामग्री तैयार करना।
